सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 02 / प्रा0पत्र / 2024 — दायरा दिनांक :—03.01.2024

GCMS ID—2024 / 48

उनवान

1. उदयसिंह आ0 बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
2. दशरथ सिंह आ0 बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
3. भारतसिंह आ0 बृजरांजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
4. महावीर सिंह आ0 बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
5. स्वरूपसिंह आ0 बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
6. चन्दाकंवर पुत्री बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
7. बेवीकंवर पुत्री बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
8. भंवरकंवर पुत्री बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
9. मोहन कंवर पत्नी बृजराजसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
10. विष्णु कंवर पुत्री भंवरकंवर जाति राजंपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
11. बृजकंवर पत्नी बृजराज सिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
12. टीकमकंवर पत्नी पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
13. दिग्विजयसिंह आ0 भंवरकंवर जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
14. विश्वेन्द्रसिंह आ0 पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
2. कालूराम आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
3. रामलाल आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
4. कैलाश आ0 हजारीलाल जाति मीणा निवासी लादू, नेगढ तह0 हिण्डोली।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— श्री अनिल गुर्जर

आदेश

दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि खाता संख्या 70 खसरा संख्या 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 42, 44, 56 / 1303, 57 / 1304 कुल किता 11 कुल रकबा 11.2907 हैक्टेयर वाके ग्राम लादू पटवार मण्डल नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

में विरिथत है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा संख्या 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175 के अगल–बगल अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की भूमिया स्थित है, जो बिना कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमियों पर कब्जा करने की नियत से सीमा सम्बन्धी विवाद करते है तथा जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है, और प्रार्थीगण की भूमि के अनदर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, जबकि प्रार्थीगण अपने खाते में दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थी की भूमियों की अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है। और आये दिन बिना कारण प्रार्थीगण की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास करते है तथा दिनांक 12.05.2023 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175 पर आ गये और जबरन भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया प्रार्थीगण ने मना किया तो गाली गलोच कर मारपीट करने पर आमादा हुये तथा धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमियों पर कब्जा करके रहेगे और तुम्हारी सीमाओं की मेडो को तोडकर हमारी भूमि में मिलायेगे और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देंगे। यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। प्रार्थीगण के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175 वाके ग्राम लादू तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थीगण पत्थरगढी का खर्चा वहन करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 164, 170, 171, 172, 173, 174, 175 वाके ग्राम लादू पटवार मण्डल नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 03 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार हिण्डोली से विवादित भूमि बाबत जॉच रिपोर्ट पत्रांकः–राजस्व/25/982 दिनांक 25.04.2024 से पेश कर अंकन किया है कि विवादित भूमि खाता संख्या 20, 155, 156, 138 प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, विवादित भूमि बाबत अन्य किसी न्यायालय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। विवादित भूमियों का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थीगण के सहखातेदारी की भूमियॉ है। विवादित भूमियों के स्थाई सीमा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम लादू पटवार मण्डल नेगढ तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 70 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 70 के खसरा सं0 164 रकबा 0.4047 है0, खसरा सं0 170 रकबा 0.2104 है0, खसरा सं0 171 रकबा 0.0243 है0, खसरा सं0 172 रकबा 0.0081 है0, खसरा सं0 173 रकबा 0.4209 है0, खसरा सं0 174 रकबा 0.0971 है0, खसरा सं0 175 रकबा 0. 4128 है0 वाके ग्राम लादू पटवार मण्डल नेगढ तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446